

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट आवंटन-18/2014-

130(आवंटन)

/कृ0, पटना, दिनांक 21-10-2014

Fax/Mail

प्रेषक,

रामजी सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक

बिहार, पटना।

विषय:

कृषि रोड मैप के अधीन गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए जीरो टिलेज विधि का प्रत्यक्षण एवं संबंधित मर्दानों के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजनान्तर्गत 3157.40 लाख (एकतीस करोड़ सन्तावन लाख चालीस हजार) रुपये की लागत से कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लाभुकों के लिए 505.184 लाख रुपये (पाँच करोड़ पाँच लाख अठारह हजार चार सौ रु.मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप तत्काल व्यय हेतु कुल ₹4,40,08,000 (चार करोड़ चालीस लाख आठ हजार रु.मात्र) की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-रा.खा.सु.मि.को.-29/2014-309 दिनांक-13.10.2014 द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए जीरो टिलेज विधि का प्रत्यक्षण एवं संबंधित मर्दानों के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजनान्तर्गत 3157.40 लाख (एकतीस करोड़ सन्तावन लाख चालीस हजार) रुपये की लागत से कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लाभुकों के लिए 505.184 लाख रुपये (पाँच करोड़ पाँच लाख अठारह हजार चार सौ रु.मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। तत्काल व्यय हेतु कुल ₹4,40,08,000 (चार करोड़ चालीस लाख आठ हजार रु.मात्र) की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹4,40,08,000 (चार करोड़ चालीस लाख आठ हजार रु.मात्र) का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00 लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0106-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट, नई योजना, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5022 विपत्र कोड-P2401007890106 के अंतर्गत विषयशीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा से 434.00 लाख (चार करोड़ चौतीस लाख) रुपये, एवं 2701-लघु कार्य से 6.08 लाख (छः लाख आठ हजार) रुपये वित्तीय वर्ष, 2014-15 में विषयशीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि 434.00 लाख (चार करोड़ चौतीस लाख) रुपये एवं 2701 लघुकार्य मद में उपबंधित राशि 840.00 लाख (आठ करोड़ चालीस लाख) रुपये से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि०(2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-6720 वि०(2) दिनांक-25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

(रामजी सिंह)

विश्वासभाजन,

(रामजी सिंह)

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग बिहार, पटना।

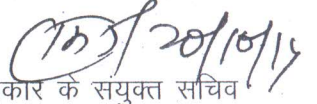
ज्ञापांक

130(आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 21-10-2014

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग बिहार, पटना।

ज्ञापांक

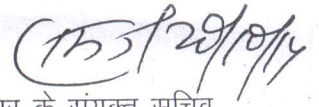
130(आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 21-10-2014

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/वित्त विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक उद्यान, बिहार पटना/निदेशक, (पी०पी०एम०)/निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/कुलपति, रा०कृ०वि०वि०, पूसा समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि वि०वि०, सबौर भागलपुर/संबंधित परियोजन निदेशक, आत्मा/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) बिहार पटना/ सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) /उप निदेशक (शष्य) बीज बिहार पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग कृषि विभाग, बिहार, पटना/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. : उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० प्रबंधक, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।




सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग बिहार, पटना।